

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अवसर एवं चुनौतियाँ

डॉ. सुनीता जैन

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

स्व. दिलीप भट्टेरी शासकीय महाविद्यालय किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

## सारांश –

इस शोध पत्र में नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के सहयोग से अत्याधुनिक क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा और शोध किसी राष्ट्र के विकास और प्रगति की रीढ़ होते हैं। यह अनायास नहीं है कि दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों में उच्च शिक्षा को लेकर सरकारी और नियामक संस्थाएं अत्यंत सजग हैं। दुर्भाग्य से भारत में उच्च शिक्षा की नियामक एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न सरकारों का रवैया उच्च शिक्षा को लेकर बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। वास्तव में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है, लेकिन क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक मानसिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की चतुर्दिक समस्याओं में से उच्च शिक्षा की समस्या की तह में जाना ज्यादा जरूरी है। शिक्षा किसी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है।

**मुख्य शब्द –** राष्ट्रीय, शिक्षा, नीति, अवसर, चुनौतियाँ, उच्च शिक्षा, आदि ।

## प्रस्तावना :-

शोध पत्र में माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति ने शिक्षा जगत के विभिन्न आयामों को बदल दिया है, यह एक पहल है जिसमें पुरानी बंदिशों को दरकिनार करके नए रूप से शिक्षा के हर एक पहलू को तराशा गया है। नई चुनौतियाँ भी शिक्षा जगत के सामने आ रही हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में यह परिवर्तन की एक नई शुरुआत है डॉ0 के. कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 को बनाया गया जिसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 में की गई। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के नियम व प्रमुख बिंदु देश के विकास में वहां के निवासियों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, वह देश तेजी से विकास की दिशा में बढ़ेगा। आज भी भारत एक विकासशील देश बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा नीति पर ध्यान न देना। देश में वर्ष 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया। यह नीति कमियों से भरी हुई थी, इसके बावजूद इस पर ध्यान न देना देश के विकास में बाधक बना हुआ नई शिक्षा नीति 2020 को शुरू कर दिया गया है, जोकि पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर और असरदार नजर आती है। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 संरचना पर आधारित है, मध्यप्रदेश, कर्नाटक के बाद एनईपी-2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। इस एनईपी-2020 के अनुसार विद्यार्थी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति सभी

बंधनों को तोड़ विद्यार्थियों को अपनी सीमाओं के बाहर नए अवसर तलाशने में मदद करेगी। पहले एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन अब वे अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं। नई नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि विज्ञान को भी विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में जोड़ रही है। अध्ययनरत विद्यार्थियों में प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए रचनात्मक कदम उठाए हैं। राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक प्लेसमेंट अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2022 के अंतर्गत छात्रों को अब कोई एक स्ट्रीम नहीं चुननी होगी। छात्र आर्ट स्ट्रीम के साथ साइंस स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के साथ आर्ट्स स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि शामिल है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले। शिक्षा ही वह मूल आधार है, जो एक सभ्य सुशिक्षित नागरिकों का निर्माण करती है समाज एवं देश को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ना भी आवश्यक है विश्व पटल पर सामाजिक न्याय और समानता वैज्ञानिक उन्नति राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है उच्च शिक्षा ही वह माध्यम है जिसमें देश की समृद्धि प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति के समाज राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है

मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था मंहगी होती है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की कुछ समस्याएँ इस प्रकार हैं।

1. खंडित उच्च शैक्षिक अवस्था।
2. संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर बल देना।
3. विषयों का एक कठोर विभाजन विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना।
4. सीमित क्षेत्र विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहां कुछ ही ऐसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं
5. सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता।
6. अधिकांश विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और अनुशासनों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी परीक्षा शोध निधियों की कमी।
7. उच्च शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव।

**नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ:-**

वर्तमान में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हमारे समक्ष आई हैं जिनसे शिक्षा जगत में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में नए बदलाव नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहा जाता है जिसमें सभी युवा वर्ग को उनकी आकांक्षा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण समान अवसर देने वाली समावेशी उच्च शिक्षा मिले इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो इस प्रकार हैं :-

1. ऐसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना जिसमें विशाल बहु विश्व विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शामिल हो जहाँ प्रत्येक जिले में या उसके आसपास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर एचपीआई ऐसे हैं जो स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करते हो।
2. बहु मिश्रित स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना।
3. संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना।
4. विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्र मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में परिवर्तन करना।
5. शिक्षण अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता नियुक्तियों और कैरियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना।
6. उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के सभी एकल नियमों को लचीला बनाना।

**निष्कर्ष :-**

इस शोध पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का निर्माण किया गया है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि बहुत से समस्याएं शिक्षा क्षेत्र में आ रही हैं विशेषकर स्नातक स्तर पर क्योंकि शिक्षा नीति, 2020 का अनुसार नए पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों विभिन्न विषयों में परिवर्तन किया गया है क्रेडिट सिस्टम को जोड़ा गया है जिसके अनुसार स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के को मुख्य, गौण, वैकल्पिक विषयों के साथ-साथ अन्य प्रोजेक्ट वर्क भी किया जाना है जिसमें तकनीकी का उपयोग भी शामिल है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए उन्हें परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर बिजली इंटरनेट की सुविधा नहीं होती इन कार्यों को करने में काफी कठिनाई होती है जिस वजह से विद्यार्थियों शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनका भी ऑनलाइन में छात्र सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते अभी भी इनमें बहुत प्रयास की जरूरत है ताकि शिक्षा को दूर-दूर तक पहुंचाया जा सके और शिक्षा को इतना लचीला बनाया गया है ताकि शिक्षा का लाभ है सभी वर्गों को समान रूप से मिल सके।

नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के सहयोग से अत्याधुनिक क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमताओं में वृद्धि होगी।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –**

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन शवकास मंत्रालय भारत सरकार।
2. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ठ संख्या 2, 24 अगस्त 2020
5. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ठ संख्या 22 अगस्त 2020
6. तन्खा वरुण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय
7. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठ संख्या 80–81
8. <https://pmmodyojana.in/national-education-polic/> 3
9. <https://pmmodyojanaye.in/national-education-policy-2020/>

.....